# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
## (पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 155/2019 दायरा दिनांक : 04.12.2019

उनवान

ग्राम पंचायत इकलेरा जरिये सचिव सरपंच ग्राम पंचायत इकलेरा, तहसील बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– लीलावती पत्नी सत्यनारायण, जाति ब्राहमण,

2– प्रवीण पंचोली पुत्र सत्यनारायण, जाति ब्राहमण,

3– सुनील पंचोली पुत्र सत्यनारायण, जाति ब्राहमण, निवासीगण इकलेरा हाल निवासी बारां जिला बारां

4– राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री मदन लाल गालव व श्री गजेन्द्र नागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री ओ.पी. मेहता ।। अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 3 की ओर से

निर्णय दिनांक : 01.09.2022

रमेश बहादुर सिंह
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 21/2019 निर्णय दिनांक 24.10.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेंट्स ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92ए, 63(4), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम इकलेरा की आराजी सम्वत 2070 खसरा नम्बर 1560 रकबा 2.38 हेक्टर के सम्वत 2038–2057 के पूर्व साबिक खसरा नम्बर 1021 रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा से कायम किये गये हैं। उक्त आराजी के मूल खातेदार केशरीलाल बेटा जगन्नाथ, जाति ब्राहमण, निवासी इकलेरा हाल निवासी बारां के खातेदारी एवं स्वामित्व की थी जो बाहमी बंटवारे के अनुसार इंतकाल कमांक 333 दिनांक 26.03.1971 से आदेश सं. 3535 राजस्व 1970 तारीख 28 नवम्बर 1970 कार्यालय एस.डी.एम. बारां मुकदमा श्यामसुन्दर, सत्यनारायण, रघुवीर प्रसाद पिसरान केशरीलाल बनाम केशरीलाल पुत्र जगन्नाथ की इजराय सन् 1970 से सत्यनारायण के खाते में अन्य आराजीयात के साथ खसरा नम्बर 1021 रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा दर्ज किया गया। तब से अपने जीवनकाल तक मृतक सत्यनारायण काबिज काश्त रहे व उनके स्वर्गवास के बाद उनके वारिसान प्रार्थीगण आज तक काबिज काश्त चले आ रहे हैं, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत रूप से उक्त आराजीयात को सीलिंग अधिग्रहण मानकर सिवायचक दर्ज कर दिया गया तथा सीलिंग दर्ज होने के बाद ग्राम पंचायत इकलेरा को आवंटित कर दी गई, जो इंतकाल कमांक 514, 502 से खसरा नम्बर 106/1021 रकवा 15 बीघा 1 बिस्वा दर्ज कर दी गई किन्तु कभी भी ग्राम पंचायत इकलेरा का कब्जा काश्त वादग्रस्त आराजी पर नहीं रहा है। प्रार्थीगण से पूर्व उनके पिता व पति सत्यनारायण व उससे पूर्व

2 कणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

केशरीलाल जी वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे थे । इसके अतिरिक्त उक्त आराजीयात पर किसी अन्य या ग्राम पंचायत इकलेरा का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा गलत रूप से सीलिंग अधिग्रहण माना गया है। अतः नियम विरूद्ध की गई सीलिंग अवाप्त कार्यवाही को निरस्त करवाकर वादग्रस्त आराजी पर पुराने कब्जे व पुश्तैनी आराजीयात होने के आधार पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराकर ग्राम पंचायत इकलेरा का नाम राजस्व रेकार्ड से हटवाया जाकर अपना नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने के अधिकारी है। प्रार्थीगण के पिता व पति द्वारा श्रीमान् प्रमुख राजस्व सचिव महोदय (सीलिंग) विभाग जयपुर में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 14.09.2004 को प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–8) विभाग कमांक प.6(14) राजस्व (ग्रुप–8)/2004 उपखण्ड अधिकारी बारां जयपुर दिनांक 25.10.2004 से प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया कि निर्देशानुसार प्रार्थीगण से प्राप्त प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज मूल ही सलंग्न प्रेषित कर लेख है कि इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 29.1.2001 के अन्तर्गत परीक्षण व नियमानुसार उचित कार्यवाही करें, का आदेश पारित किया गया जिसके पश्चात आज तक उक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अमल में नहीं लायी गई तथा ग्राम पंचायत इकलेरा प्रार्थीगण को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। इसलिए प्रार्थीगण ग्राम पंचायत इकलेरा व राज0 सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार बारां के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण का वाद कोस तथ्यों पर आधारित है तथा सुविधा का संतुलन हर प्रकार से प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि ग्राम पंचायत इकलेरा अपना नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित होने के कारण प्रार्थीगण को बेदखल करने में सफल हुए तो प्रार्थीगण को अपूर्णीयक्षति होगी जिसका

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं है। इसलिए न्यायहित में अदाता नियुक्त कर केश सिक्यूरिटी राशि जमा कराये जाने के आदेश प्रदान किया जाना न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर आदेशित किया कि आराजी खसरा नम्बर 1560 रकबा 2.38 हेक्टर पर रूपये 2000/– प्रति बीघा प्रतिवर्ष की दर से राशि जमा कराने पर ही अपना कब्जा रख सकेगे तथा नियत समय अवधि में राशि जमा करने में विफल रहने पर तहसीलदार बारां उक्त आराजी पर रिसीवर के रूप में कब्जा प्राप्त कर आगामी काश्त व्यवस्था अपने स्तर पर सम्पादित करायेगे, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की। अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का व साक्ष्य का ध्यान पूर्वक अवलोकन नहीं किया और मिथ्या आधार पर निर्णय पारित कर दिया। वादग्रस्त आराजी सीलिंग कार्यवाही के तहत अधिग्रहित हो गयी थी जिसे सिवायचक दर्ज करने के पश्चात अपीलांट के नाम आवंटन किया गया है जिस पर अपीलांट का नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज है तथा अपीलांट को आवंटन के पश्चात वादग्रस्त आराजी पर कब्जा प्रदान किया गया था तब से निरन्तर अपीलांट आज तक वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत जवाब के तथ्यों व दस्तावेजात को अनदेखा कर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। ग्राम पंचायत/अपीलांट को आवंटन के पश्चात से वादग्रस्त आराजी पर उनका कब्जा काश्त तथा खुल्ली बोली लगाकर अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति से भी वादग्रस्त आराजी को जुपाया जाता रहा है। रेस्पोडेंट प्रार्थी द्वारा भी उक्त आराजी की काश्त हेतु बोली लगायी जाकर जोता गया है इससे प्रमाणित है कि वादग्रस्त आराजी

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपीलांट की खातेदारी में है तथा उनके कब्जे काश्त में है तथा अपीलांट द्वारा ही काश्त व्यवस्था करवायी जाती रही है। प्रार्थीगण द्वारा जमीन की बोली लगाने तथा मुनाफा काश्त की राशि जमा करवाने की रसीद व दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत किये गये हैं इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने रिसीवर नियुक्त करने का आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी रेस्पोडेंट का कब्जा नहीं है, ऐसी स्थिति में उनके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर उनका कब्जा कायम रखने का आदेश विधि के प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये तीन बिन्दु महत्वपूर्ण है । वाद का ठोस तथ्यों पर आधारित होना, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना तथा अपूर्णीयक्षति । अधीनस्थ न्यायालय ने तीनों बिन्दुओं का निस्तारण नहीं किया तथा बिना युक्तियुक्त आधार पर निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.10.2019 अपास्त किया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी सीलिंग कार्यवाही के तहत अधिग्रहित हो गयी थी जिसे सिवायचक दर्ज करने के पश्चात अपीलांट के नाम आवंटन किया गया है जिस पर अपीलांट का नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज है तथा अपीलांट को आवंटन के पश्चात वादग्रस्त आराजी पर कब्जा प्रदान किया गया था, तब से निरन्तर अपीलांट आज तक वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत जवाब के तथ्यों व दस्तावेजात को अनदेखा कर विधि विरूद्ध

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू-प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

निर्णय पारित किया है। ग्राम पंचायत/अपीलांट को आवंटन के पश्चात से वादग्रस्त आराजी पर उनका कब्जा काश्त तथा खुल्ली बोली लगाकर अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति से भी वादग्रस्त आराजी को जुपाया है। रेस्पोडेंट प्रार्थी द्वारा भी उक्त वादग्रस्त आराजी की काश्त हेतु बोली लगायी जाकर आराजी को जोता गया है इससे प्रमाणित है कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट की खातेदारी में है तथा उनके कब्जे काश्त में है तथा अपीलांट द्वारा ही काश्त व्यवस्था करवायी जाती रही है। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी की बोली लगाने तथा मुनाफा काश्त की राशि जमा करवाने की रसीद व दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध हैं इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने रिसीवर नियुक्त करने का आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहन अध्ययन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों, सबूतों का भली भांति अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.10.2019 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को सुनकर अपील में वर्णित समस्त बिन्दुओं का बिन्दुवार निस्तारण करते हुए गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.01.2023 को उपस्थित होवें।

निर्णय आज दिनांक 01.09.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

1/9/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा